न्याय
पीठासीन
मुकदमा

23.8.2024 । वकुलाए फरीकैन उपस्थित/ प्रतिवादी सं० 1 को विधिवत तामील सम्मन तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं। इस लिए प्रतिवादी सं० 1 के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब कुनिन्दा तारीख 29.08.2024 को पेश हो।

29.8.2024 वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU माह अवकाश घोषित है। पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 30.9.2024 को पेश हो

05.9.2024 वकुलाए फरीकैन उपस्थित/ स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया/ और साक्ष्य नहीं करवाना चाहते। पत्रावली वास्ते बहस कुनिन्दा तारीख 09.09.2024 को पेश हो।

अक्षय कुमार

09.09.2024 वकुलाए फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य आदि के आधार पर वाद खारिज किया जाता है पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाइल किया जावे। पत्रावली नम्बर के कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 121/2023 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

1. अनिता पुत्री इन्द्राज नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन खेदासरी जिला हनुमानगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. अक्षय कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन खेदासरी जिला हनुमानगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील–वादीगण
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1
निर्णय दिनांक– 09.9.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त वकील वादीगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 2 के.डी.एम. के प0 न0 9/41 (81) के किला न0 6/1, 6/2, 7, 15/1, 15/2, 19 , 20/2, 21/1, 22, ता 24 की 2.227 है0 मे प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 356/6681 हिस्सा व चक 5 के.एच.डी. के प0 न0 229/23 (59) के किला न0 22, 23 की 0.506 है0 भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा व चक 6 एस.पी.डी.बी. के प0 न0 109/386 (10) के किला न0 1/1 की 0.228 है0 2 ता 4 की 0.759 है0 5/1 की 0.228 है0 5/2 की 0.025 है0 खाला 6/1 की 0.228 है0 6/2 की 0.025 है0 खाला 7 ता 9 की 0.759 है0 13 की 0.253 है0 कुल 2.505 है0 भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2067/16700 हिस्सा भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.9.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner